(01)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

जानकी मंडल वगै0 बनाम् विकाश कुमार मंडल वगै0

विविध वाद संख्या –83/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. जानकी मंडल, पिता – अमृत मंडल,

साकिन – छोटकी सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

2. जानकी मंडल, पिता – नुनु मंडल,

साकिन – बलिडीह, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. विकास कुमार मंडल, पिता – स्व0 किशोर मंडल,
2. रंजन कुमार मंडल, पिता – स्व0 राजू मंडल,

दोनों साकिन– मंदरामों, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	124	2623	30 डी0	उ0– गोपाल चमार, द0– रास्ता, पु0– ईश्वरी पाण्डेय, प0– तारा देवी।
		2625	26 डी0	उ0– डीलो चमार, द0– रास्ता, पु0– नीज प्रथम पक्ष, प0– तारा देवी।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 01.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या – 21945, दिनांक – 10.05.1973 की छायाप्रति, कुल – 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. श्रीमति इन्दिया देवी वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

4. धरमी देवी वगै0 के नाम से ऑनलाईन पंजी II की छयाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. धरमी देवी वगै0 के नाम से ऑफलाईन पंजी II की छयाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. जानकी मंडल के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. विवादित स्थल का फोटोग्राफ की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 01.06.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि प्रथम पक्ष के मौजा बडकी सरिया अंचल सरिया के अंतर्गत मेरी दादी इन्दिया देवी जौजे दतुल महतो वो धरमी देवी जौजे ठाकुर महतो वो नीरिया देवी जौजे नुनु महतो के नाम से केवाला दस्तावेज सं0 – 21945 दिनांक 10.05.1973 को बजरिये खरीदगी मो0 पनवा पति स्व0 बिसुन सुण्डी से हासिल है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि मेरे दादी अपने नाम से अंचल कार्यालय से दाखिल खारीज करवाकर के अपने नाम से राजस्व रसीद हासिल है। जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पेज नं0 25, भाग नं0 16 में इन्दिया देवी वगैरह के नाम से दर्ज है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उपरोक्त जमीन मौजा बडकी सरिया के अंतर्गत खाता नं0 – 124, प्लॉट नं0 2623 रकवा 30 डी0 जिसकी चौहदी : उ0 – गोपाल चमार, द0 – रास्ता, पु0 – ईश्वरी पाण्डेय, प0 – तारा देवी वो प्लॉट नं0 – 2625 रकवा 26 डी0, जिसका चौहदी : उ0 – डिलो चमार, द0 – रास्ता, पु0 – नीज प्रथम पक्ष, प0 – तारा देवी अवस्थित है।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि उपरोक्त खरीदगी जमीन पर प्रथम पक्षगण के दादी सरजमीन पर 30 वर्ष पूर्व बॉण्ड्रीवाल चारो तरफ किये हुवे थे। बॉण्ड्रीवाल के अंदर साल दर साल खेती बारी करते आ रहे है। दिनांक – 30.05.2024 को द्वित्तीय पक्ष के सदस्यगण जमीन हड़पने के नियत से हरवे हथियार से लैस होकर अपने साथ ट्रेक्टर ले आये और ट्रेक्टर से धक्का मारकर चारदिवारी तोड दिये तोडे हुवे सरजमीन पर मिटटी डाल कर जमीन का समतल कर दिये और स्थल पर ईंटा, बालू, पत्थर लेकर मेरे जमीन में आ गये और इक्कठा कर लिये और तोडे हुवे स्थल पर बड़ा सा गैट लगाने के उद्देश्य से निब की खुदाई भी किये हुवे है, हमलोग मना करने गये तो मारपीट पर उतारू हो गये किसी भी क्षण मेरे घर परिवार के साथ होनी अनहोनी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

आवेदन का प्वांइट नं0 07 – यह कि द्वित्तीय पक्ष जनसंख्या धन, बल और लठैत प्रवितृ व्यक्ति हैं जो बल पूर्वक सर्वजमीन बुनियाद की खुदाई कर रहा है।

द्वित्तीय पक्ष

रेकड़ में नोटिस तामिला संलग्न है, परन्तु द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, एवं उनके द्वारा अपने समर्थन में कोई भी लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का ज्ञापांक – 1133/2024, दिनांक – 11.06.2024, कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

थाना सरिया के प्रतिवदेन में यह कहा गया है कि जाँच के दौरान वादी जानकी मंडल के द्वारा प्रश्नगत जमीन का केवाला दिखाया गया, जबकि द्वित्तीय पक्ष के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्त्तमान में विपक्षी द्वारा मुख्य सड़क से लगी जमीन पर मिट्टी गिराकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध वादी पक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बनी हुई है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	124	2623	30 डी0	उ0– गोपाल चमार, द0– रास्ता, पु0– ईश्वरी पाण्डेय, प0– तारा देवी।
		2625	26 डी0	उ0– डीलो चमार, द0– रास्ता, पु0– नीज प्रथम पक्ष, प0– तारा देवी।

2. **प्रथम पक्ष** का कहना है कि केवाला संख्या – 21945, दिनांक – 10.05.1973 के माध्यम से, श्रीमति इन्दिया देवी, जौजे – दतुल महतो, श्रीमति धरमी देवी, जौजे– ठाकुर महतो एवं श्रीमति नीरीया देवी, जौजे – नुनु महतो को भूमि हासिल है। जिसका दाखिल – खारिज करवाकर, ऑनलाइन पंजी II के भाग – 16, पृष्ठ संख्या – 25 पर धरमी देवी वगै0 के नाम से कायम है। **(प्रदर्श A-2)**

   प्रथम पक्ष के द्वारा श्रीमति इन्दिया देवी के नाम से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति संलग्न किया संलग्न किया गया है। **(प्रदर्श A-4,प्रदर्श A-5)**

   प्रथम पक्ष के द्वारा श्रीमति इन्दिया देवी वगैरह के नाम से खाता नं0 – 124 का, वर्ष 1996 – 97 का ऑफलाईन लगान रसीद भी संलग्न किया गया है। **(प्रदर्श A-3)**

3. **द्वित्तीय पक्ष** – नोटिस तामिला रेकड़ में संलग्न है, इसके बावजुद भी द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा अपने दावे के समर्थन में कोई भी लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किये।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को विवादित भूमि केवाला से प्राप्त है (प्रदर्श A-2) तथा जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद भी निर्गत है (प्रदर्श A-3, प्रदर्श A-4, प्रदर्श A-5)।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है; तथा द्वित्तीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपूष्ट किया जाता है, तथा द्वित्तीय पक्ष को उक्त विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानून व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

12.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

12.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.20 12:00:37 +05:30
Location: 192.168.1.6